

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4931
उत्तर देने की तारीख 23.03.2026

दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती और कर्मचारियों के पद

4931. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वर्तमान में संबद्ध और कार्यरत कॉलेजों की संख्या का कॉलेज-वार नामों सहित ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में वर्तमान में कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या का पद-वार और कॉलेज-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए की गई भर्तियों की संख्या सहित विधि विभाग में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है और उसमें नियुक्त उम्मीदवारों की वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार, विशेषकर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के संबंध में संख्या कितनी है;
- (घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान की गई भर्ती में प्राप्त आवेदनों और चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है तथा रिक्तियों की श्रेणी-वार (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस) वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ङ) वर्ष 2023 और 2024 में भर्ती के लिए विज्ञापित अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है और वर्ष 2025 में की गई नियुक्तियों में उन पदों की तुलना में अंतिम रूप से चयनित अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है और इसके तहत बनाई गई संविधियों, अध्यादेशों आदि के प्रावधानों द्वारा शासित है। विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वैधानिक प्रावधानों और प्रासंगिक विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वैधानिक निकायों के अनुमोदन से लिए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत कार्यात्मक कॉलेजों

का विवरण लिंक <https://www.du.ac.in> पर देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के विभागों में 87 प्रोफेसर, 279 एसोसिएट प्रोफेसर, 734 सहायक प्रोफेसर और 714 गैर-शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 7603 शिक्षण और 2925 गैर-शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं।

रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरने का दायित्व विश्वविद्यालय पर है। रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की वजह से उत्पन्न होती हैं। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से रिक्त पदों को भरने के लिए संस्थानों की निगरानी करते हैं।

सितंबर 2022 से, सभी विश्वविद्यालयों ने रिक्तियों को भरने हेतु मिशन मोड में भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 24.01.2026 तक, दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में 588 एससी, 311 एसटी, 1070 ओबीसी और 303 ईडब्ल्यू पदों सहित 4040 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरा गया है। पिछले पाँच वर्षों में, विधि विभाग में 5 एससी, 10 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस सहित 42 शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गई है।

यूजीसी ने देशभर में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संकाय पदों के लिए रिक्तियों/विज्ञापनों/रोज़गारों को सूचीबद्ध करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 02.05.2023 से एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात् सीयू-चयन प्रारंभ किया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पात्र आवेदकों के चयन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए अपने वेबसाइट पर वर्षभर रोलिंग विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु निर्देश दिया गया है। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाएं (शिक्षक कैंडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षक कैंडर में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम विश्वविद्यालय/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान को आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के स्थान पर एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी मुश्किलों को दूर करता है। इसके अलावा, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया। पहले ओबीसी को केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर आरक्षण दिया गया था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल उस विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरे जा सकते हैं; आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी रिक्त पद भर्ती के अगले चक्र में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में उसके भरे जाने तक पुनः विज्ञापित किया जाता रहेगा।